LCK SABHA

Friday, August 19, 1966/*Sravana* 28, 1888 (*Saka*)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Khadi and Village Industries Commission

*539. **Shri Shree Narayan Das:**
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Raghunath Singh:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shrimati Ramdulari Sinha:

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether any Committee has been appointed to review the working of the Khadi and Village Industries Commission;

(b) if so, its terms of reference;

(c) whether the Committee has submitted any interim report; and

(d) if so, the broad features thereof?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) Yes, Sir.

(b) The following are the terms of reference:—

(i) to assess the progress made in khadi and village industries since the establishment of the All India Khadi & Village Industries Board in 1953 and to make recommendations to strengthen and expand the progress of khadi and village industries in the country; and

(ii) to suggest any structural or constitutional changes that may be needed in order to improve co-ordination between the Khadi and Village Industries Commission on the one hand and the State Khadi and Village Industries Boards, Co-operative Societies and other Institutions on the other, having regard to the experience so far gained in the working of the programmes of the Khadi and Village Industries and in the context of the projected programme in the Fourth Plan period.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Shri Shree Narayan Das: May I know what is the composition of the reviewing committee?

Shri Manubhai Shah: There are in all 17 members headed by Shri Asoka Mehta, the Minister of Planning. Shri Dhebar, Chairman of the Khadi Commission is a member. The other members are Shri Tyagi....

Shri Tyagi: I never accepted it.

Shri Manubhai Shah: I am sorry; I wanted to say that he had withdrawn. Shri Khandubhai Desai, Shri Kamath, Shrimati Savitri Nigam and Shri M. P. Bhargava, Members of Parliament are members of this committee.

Shri Shree Narayan Das: May I know whether any time-limit has been fixed for the submission of the final report by the committee?

Shri Manubhai Shah: Not so far. But I hope it will be submitted within 6 months.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पीछे पब्लिक एकाउण्टस कमेटी ने खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी थी, उसमें यह भी संकेत था कि जब तक मन्त्रालय या सरकार इस बात से सन्तुष्ट न हो जाये कि इस पर ख़र्च किये गए पैसे का सदुपयोग हो रहा है, तब तक सरकार आगे के लिए हाथ खींच कर काम करे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कमेटी की इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मन्त्रालय ने, अब तक वह जो उदारता से उसको पैसा दे रहा है, उसमें किसी प्रकार की कमी की है।

श्री मनुभाई शाह : वैसे तो इस काम के महत्व और व्यापकता को देखते हुए हम कमीशन को कोई ज्यादा पैसा नहीं दे रहे थे, लेकिन पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी ने उसके बारे में जो सिफारिशें की हैं, उनको कमीशन की निगाह में लाया गया है और वह उनका ख्याल रख कर काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है। शायद आप उस को समझ गए होंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहब यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने कमीशन को दिये जाने वाले पैसे में कोई कमी की है।

श्री मनुभाई शाह : नहीं।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : पिछले दिनों पत्रों में यह सूचना प्रकाशित हुई थी कि खादी तथा ग्रामोद्योग भवन में जो दूसरे पदार्थ बेचे जाते हैं, उन में से एक स्थान पर शहद में मिलावट पाई गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि यह सूचना सच है, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

श्री मनुभाई शाह : केवल शहद में ही नहीं, और बहुत सी चीजों में भी एडलट्रेशन है। खादी कमीशन का उससे क्या सम्बन्ध है?

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मैं खादी तथा ग्रामोद्योग भवन के बारे में पूछ रहा हूं, जो कि खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन के अधीन है।

श्री मनुभाई शाह : शहद की हजारों दुकानें हैं। अगर किसी दुकान में शहद में कोई कचरा निकल आया, तो कमीशन क्या करेगा। *Interruptions.* I cannot undertake to say on behalf of the Commission that everywhere it is without adulteration. If there is adulteration, they will be prosecuted.

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि खादी के प्राण और उस के प्रवर्तक, महात्मा गांधीजी, के बताए हुए नियमों के अनुसार खादी कमीशन के या जो कमेटी बनाई गई है, उसके कितने सदस्य खादी मे विश्वास करते हैं और क्या खादी कमीशन का काम गांधीजी के बताए हुए रास्ते पर चलता है या नहीं।

श्री मनुभाई शाह : मेरा ख्याल है कि इसमें जितने मेम्बरान हैं, वे सब आजन्म खादी के पहनने वालों में से हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैंने आजन्म खादी पहनने की बात नहीं पूछी है। मैंने यह पूछा है कि कितने सदस्य गांधीजी के बताए हुए सिद्धान्तों के अनुसार खादी पर विश्वास करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह जज करना तो बड़ा मुश्किल है।

श्री मनुभाई शाह : मैं यह नाप-तौल कैसे कर सकता हूं?

श्री क० ना० तिवारी : मन्त्री महोदय ने बताया है कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चौथी

पंचवर्षीय योजना में खादी कमीशन के लिए जो धनराशि निर्धारित की जायेगी, वह किस आधार पर निर्धारित की जायेगी, जबकि रिपोर्ट नहीं आई है। क्या रिपोर्ट आने के बाद इस बारे में निश्चय किया जायेगा या वह धनराशि अभी निर्धारित कर दी जायेगी ?

श्री मनुभाई शाह : पहले तो एक वर्किंग ग्रुप बिठाया गया था, जिसने, पिछले पन्द्रह सालों में खादी की जितनी तरक्की ई है, उस को निगाह में रख कर चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में की जाने वाली व्यवस्था के बारे में में हिदायत की। उसके बाद चूंकि रिसोसिज़ कम थे, इस लिए वह रकम भी और काटी गई। अब जो दिया गया है, वह इतना कम है कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना में उसका जो प्रोग्राम है, उसको चलाने के लिए भी चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में उसके पास पूरा पैसा नहीं है। जो कमेटी बनाई गई है, उसकी राय को इस बारे में ख्याल में रखा जायेगा।

Shrimati Ramdulari Sinha: May I know what considerations have weighed with the Government in the appointment of such a committee and whether it was appointed on the basis of some suggestions received by any person or authority or they have appointed it on their own motion?

Shri Manubhai Shah: Usually whenever the House has approved of any statutory Commission or Board, it has been customary for Government to review periodically the working of such autonomous bodies. We have appointed recently a committee for the Tariff Commission, a committee for the Forward Markets Commission, etc. In the same spirit, in the light of 10 years of working, it was thought advisable by Government that we should have a high-powered reviewing committee for the working of the Khadi Commission.

श्री त्यागी: क्या मैं यह दर्याफ्त कर सकता हूं कि जब से खादी एंड विल्लेज इंडस्ट्रीज कमीशन बना है, उस वक्त से आज तक उस को कितना रुपया बतौर कर्ज के दिया गया, कितना रुपया ग्रांट के तौर पर दिया गया और उस को जो कर्ज़ दिया गया है, उस की रीपमेंट का उस ने कहां तक इन्तजाम किया है और वह कब से उस की अदायगी शुरू करेगा ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : और कितनी सबसिडी दी गई है ?

श्री मनुभाई शाह : अगर इस बारे में कोई सैपरेट क्वेस्चन दिया जाये, तो मैं यह सूचना दे सकता हूं। लेकिन यह सब इन्फर्मेशन मैं सदन के सामने रख चुका हूं और एनुअल रिपोर्ट में भी यह आ जाती है। इस कमेटी के सामने ये सब बातें रखी जायेंगी और उस कमेटी की रिपोर्ट इस सदन के सामने पेश की जायेगी।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं यह जानना चाहता हूं कि खादी तथा ग्रामोद्योग भवन के डायरेक्टर के खिलाफ वहां के कर्मचारियों ने जो अभियोग लगाए थे क्या उन की एन्क्वायरी की गई थी; यदि हां, तो उस का क्या निष्कर्ष था।

श्री मनुभाई शाह : अगर माननीय सदस्य इस बारे में सैपेरेट क्वेशस्यन देंगे, तो मैं बता सकता हूं ?

श्री त्यागी : मैं एक सफाई चाहता हूं। रिपोर्ट में तो यह इन्फर्मेशन दर्ज होगी, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि कर्ज की अदायगी के मुताल्लिक क्या पालिसी है।

श्री मनुभाई शाह : कर्ज की अदायगी बराबर मुद्दत के मुआफिक की जाती है और अगर उस में कोई एक्सटेंशन देने का सवाल आता है, तो पूरी जांच-पड़ताल के बाद एक्शन लिया जाता है।

श्री मधु लिमये : खादी तथा ग्रामोद्योग से महात्मा जी का नाम जुड़ा हुआ है और खादी कमीशन और खादी भंडारों को सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर सहायता दी जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय

का ध्यान इस बात की ओर गया है कि दिल्ली स्थित खादी तथा ग्रामोद्योग भंडार में दियासलाई के जो बक्से बेचे जाते हैं, उन पर लिखा रहता है : 'पचास दियासलाई,' लेकिन जब उसको खोलते हैं, तो सिर्फ चौबीस या पच्चीस मिलती हैं ? मैं ने अध्यक्ष महोदय के सामने गारंटी के साथ इस का प्रदर्शन किया था । मैं ने उसे बक्से को खोला नहीं था । लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि यह बात सही है । जिन भंडारों के साथ महात्मा जी का नाम जुड़ा हुआ है, अगर उन में भी यह स्थिति है, तो मंत्री महोदय जो खादी कमिशन के कार्य-संचालन के लिए संशोधन वगैरह कर रहे हैं, नया इंतजाम कर रहे हैं, क्या उसके साथ वह इस के बारे में भी कुछ कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने मुझे यह चिट्ठी लिखी है कि उन्होंने इस बारे में फौरन एक्शन लिया है और बाकी कार्यवाही के बारे में जल्दी ही हाउस को रिपोर्ट दी जायेगी । उन्होंने उसी वक्त एक्शन लिया । वह खुद गए और देखा कि जब दियासेलाई की डिबिया को खोला गया, तो उस में से बीस, पच्चीस ही दियासलाइयां निकलीं ।

श्री मनुभाई शाह : मैं एक शब्द कह दूं . . .

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, शहद का भी एसा ही मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : दियासलाई की डिबिया अगर यहां हो, तो खतरनाक है ।

New Victoria Mills, Kanpur

*540. **Shri †Bagri:**
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:
Shri Maurya:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Sonavane:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Unstarred Quesion No. 4694 on the 29th April, 1966 and state:

(a) whether the report of the Committee appointed to go into the working of the New Victoria Mills, Kanpur has since been considered by Government and if so, the decisions taken in the matter; and

(b) if not, when it is likely to be considered?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) and (b). The recommendations of the Investigation Committee have been considered and it has been decided in consultation with the State Government that the mill company be allowed to go into liquidation.

श्री बागड़ी : क्या मंत्री जी मोटी मोटी सिफारिशें कुछ बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : वही सिफारिश थी कि यह मिल जिस ढांचे में आज है उस में वह अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता, इस लिये इस को लिक्विडेशन में लिया जाना चाहिए ।

श्री बागड़ी : क्या मंत्री महोदय इस पोजीशन में हैं कि वह बता सकें कि वह जो बदइंतजामी चली, उस से कितने पैसे का गोलमाल और हर्जा हुआ है और अगर हुआ है तो उस के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : वह इस तहकीकात के अन्दर नहीं है । यह तहकीकात तो इंडस्ट्रीज ऐक्ट के मातहत की जाती है यह देखने के लिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस को चलाया जा सकता है या नहीं और जहां तक कम्पनीज ला का ताल्लुक है वह शेयरहोल्डर्स और डाइरेक्टर्स उस को देखते हैं । वही नतीजा भी निकाल सकते हैं ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि जांच समिति का निष्कर्ष है कि इस मिल को चलाया न जाय, यह चल नहीं सकती । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मशीनरी पुरानी हो गई है,